न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी – श्रीमति भारती फूलफकर आर.ए.एस.

अनवान–

1 गुरजीत राय पुत्र श्री जगदेव सिंह जाति रामदासिया निवासी चक 7 एपीडी (भातीवाला) श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर।
2 मनदीप राय पुत्र श्री जगदेव सिंह जाति रामदासिया निवासी चक 7 एपीडी (भातीवाला) श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर।
3 सुनील राय पुत्र श्री जगदेव सिंह जाति रामदासिया निवासी चक 7 एपीडी (भातीवाला) श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर।

–प्रार्थीगण–

–बनाम–

1 नाजर सिंह पुत्र श्री करतार सिंह जाति बावरी निवासी भातीवाला तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर।
2 स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व एवं भू.अ.) श्री विजयनगर जिला श्रीगंगानगर।

–अप्रार्थीगण–

उपस्थित–

1 श्री नवीन कुमार मिढढा, वकील वादी।
2 पैरोकार राज तहसीलदार, श्रीविजयनगर।

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम)

प्रकरण संख्या – 09/2021 **दिनांक – 22.08.2023**

प्रकरण में तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार है :–

प्रार्थी के द्वारा उपरोक्त अनवान का एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) आर.टी.ए. प्रस्तुत किया जाकर निवेदन किया कि कृषि भूमि चक 7 ए.पी.डी. (भातीवाला) तहसील श्री विजयनगर का पत्थर नम्बर 236/394, मुरब्बा नम्बर 30 का किला नम्बर 13/1 का 0.127 हैक्टर, किला नम्बर 14 का 0.253 हैक्टर, किला नम्बर 15 का 0.253 हैक्टर, किला नम्बर 16 का 0.038 हैक्टर, किला नम्बर 17 का 0.051 हैक्टर, किला नम्बर 18 का 0.114 हैक्टर, किला नम्बर 19/1 का 0.056 हैक्टर इस प्रकार कुल 0.8920 हेक्टर कमाण्ड राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण के नाम से संयुक्त रूप से बतौर खातेदार दर्ज है। इसी चक 7 ए.पी.डी. (भातीवाला) का पत्थर नम्बर 235/394 मुरब्बा नम्बर 31 का किला नम्बर 1 व 2 सालम–सालम, किला नम्बर 3 का 0.126 हैक्टर तथा किला नम्बर 8 का 0.051 हैक्टर, किला नम्बर 9 ता 11 सालम सालम एंव किला नम्बर 12 का 0.215 हेक्टर इस प्रकार कुल 1.6570 हैक्टर कमाण्ड कृषि भूमि अप्रार्थी संख्या 1 नाजर सिंह के नाम से राजस्व रिकार्ड में बतौर खातेदार दर्ज है। प्रार्थी के नाम से प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 1 में दर्ज उपरोक्त मुरब्बा के किलाजात की कृषि भूमि में काश्त हेतु आने–जाने एंव कृषि उपज एंव औजार आदी लाने ले जाने के लिए कोई स्वीकृत शुद्धा रास्ता नही है। जिस कारण प्रार्थी को अपने किलाजात की कृषि भूमि में आने–जाने, काश्त करने, कृषि उपज वा उपकरण परिवहन करने में अत्यधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पत्थर नम्बर 236/394, मुरब्बा नम्बर 30 के चिपते हुऐ पूर्व दिशा में पत्थर नम्बर 235/394, मुरब्बा नम्बर 31 के किलाजात नम्बर 1–10–11 की भूमि स्थित है जो कि अप्रार्थी संख्या 1 नाजर सिंह के नाम से राजस्व रिकार्ड में बतौर खातेदार दर्ज है। यहाँ यह स्पष्ट कर देना उचित होगा कि

लगातार............2

Scanned with CamScanner

गाँव भातीवाला आने–जाने वाली मुख्य पक्की सड़क से खेतो में आने–जाने के लिऐ मन्जूरशुद्धा कच्चा रास्ता पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर जो क्रमशः मुरब्बा नम्बर 16, 17, 18, 19, प्रत्येक के किलाजात संख्या 21 ता 25 की भूमि में से होता हुआ आगे मुरब्बा नम्बर 20 के किला नम्बर 21 की भूमि से दक्षिण दिशा की ओर मुड़कर मुरब्बा नम्बर 22 के किला संख्या 1–10– 11–20–21 की भूमि में स्वीकृत है जो उक्त कच्चा मन्जूरशुद्धा रास्ता अप्रार्थी संख्या 1 नाजर सिंह के उक्त मुरब्बाजात संख्या 31 के किला नम्बर 1 की सीध में उसके किला नम्बर 1 की सीमा रेखा के बराबर में आकर समाप्त हो जाता है। आज से दो रोज पूर्व प्रार्थीगण ने अप्रार्थी संख्या 1 नाजर सिंह से सम्पर्क कर आग्रह किया कि जो उक्त मन्जूरशुद्धा कच्चा रास्ता उसके मुरब्बा नम्बर 31 के किला नम्बर 1 की सीमा रेखा पर आकर समाप्त होता है वह उक्त मन्जूरशुद्धा रास्ता को और आगे बढाने के लिऐ उक्त मन्जूरशुद्धा रास्ता की सीध में आगे वह अपने मुरब्बा नम्बर 31 पत्थर नम्बर 235/394 के किलाजात नम्बर 1–10–11 में पत्थर लाईन पर डेढ बिस्वा भूमि यानि करीबन 12 फुट चौड़ाई में एंव करीबन 345 फीट लम्बाई में यानि कि किला नम्बर 1 व 10 में कुल 330 फीट तक लम्बाई में और किला नम्बर 11 में करीबन 15 फीट तक लम्बाई में इस प्रकार कुल 345 फीट तक लम्बाई में और 12 फीट चौड़ाई में रास्ता स्वीकृत करवाने में प्रार्थीगण का सहयोग करें ताकि प्रार्थीगण मन्जूरशुद्धा रास्ते से आगे इस वांछित रास्ता को स्वीकृत करवाकर उसका उपयोग कर अपने मुरब्बा नम्बर 30 में स्थित किला संख्या 15 में प्रवेश कर सके तो वह ऐसा करने से स्पष्ट रूप से इन्कार हो गया बस यही बिनाय मुखास्मत एंव बिनाय दावा प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्राप्त है। अप्रार्थी संख्या 2 लैण्ड होल्डर है इसलिए उसे आवश्यक पक्षकार मुकदमा बनाया गया है। प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 1 में दर्ज अपनी उक्त कृषि भूमि वाके चक 7 ए.पी. डी. तहसील श्री विजयनगर के पत्थर नम्बर 236/394 किला नम्बर 13/1–14–15–16–17–18–19/1 में आने–जाने के लिए अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज इसी चक के उक्त मुरब्बा नम्बर 31 पत्थर नम्बर 235/394 का किला नम्बर 1–10–11 में पत्थर लाईन पर डेढ बिस्वा भूमि यानि 12 फीट चौडाई में एंव 345 फीट लम्बाई में रास्ता स्वीकृत करवा कर राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाना चाहता है। उक्त वांछित रास्ता प्रार्थीगण की भूमि में आने जाने के लिए लघुतम सुगम एव सुविधाजनक रास्ता है। प्रार्थीगण को उक्त रास्ता की अत्यधिक आवश्यकता है क्योंकि प्रार्थीगण को अपनी कृषि भूमि में पहुँचने हेतु वैकल्पिक रास्ता का अभाव है। वांछित रास्ता की भूमि बाबत न्यायालय द्वारा अधिरोपित की जाने वाली राशि को प्रार्थीगण अदा करने को तैयार है। चक 7 ए. पी.डी. (भातीवाल) की कृषि भूमि माननीय न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता में स्थित है इसलिए प्रार्थना पत्र की सुनवाई का श्रवणाधिकार एंव क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को है अतः प्रार्थना पत्र पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वाके चक 7 ए.पी.डी. (भातीवाला) तहसील श्री विजयनगर का पत्थर नम्बर 235/394, मुरब्बा नम्बर 31 का किला नम्बर 1–10–11 में पत्थर लाईन पर डेढ बिस्वा भूमि यानि 12 फीट चौड़ाई में एंव 345 फीट लम्बाई में रास्ता स्वीकृत किया जावे ताकि प्रार्थीगण अपनी कृषि भूमि के किलाजात संख्या 15 में प्रवेश कर उसको काश्त कर सके तथा उक्त स्वीकृत शुद्धा रास्ता का अंकन राजस्व रिकार्ड में किये जाने का आदेश अप्रार्थी संख्या 2 को दिया जाने हेतु निवेदन किया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया अप्रार्थी संख्या 1 को जरिये नोटिस तलब किया गया जो कि हाजिर मिला लेकिन नोटिस लेने से इन्कार किया, अप्रार्थी संख्या 1 उपस्थित नहीं , बार–बार, रूक–रूक कर आवाजें लगाई गयी लेकिन कोई उपस्थित नहीं आया, अतः इसके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। अप्रार्थी पैरोकार राज ने अपना जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता प्रार्थी के लिए परमआवश्यक है। उक्त जोत तक पहुंचने हेतु वैकल्पिक रास्ते का अभाव है, प्रकरण दर्ज होने की दिनांक से अब तक किसी निश्चित रास्ते का उपभोग प्रार्थी द्वारा नहीं किया जा रहा है।न्यूनतम एवं निकटतम

लगातार.........3

Scanned with CamScanner

विकल्प व्यावहारिक है। मौके पर किला नं. जिसमें प्रार्थीगण द्वारा रास्ता चाहा गया है में फसल खडी हुई है। जोत तक पहुंचने का सम्पूर्ण रास्ता खातेदार की भूमि में से होकर जाता है।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने एवं रिपोर्ट पैरोकार राज एवं भू.अ.नि. का अवलोकन करने पर पाया कि प्रार्थी को अपने जोत में प्रवेश करने के लिये कोई स्वीकृत शुदा रास्ता नहीं है। प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि में आने जाने के लिए रास्ता की आवश्यकता है। चूंकि पं.नं. 235/394 (31) के किला नं. 1, 10, 11 में पत्थर लाईन पर डेढ बिस्वा भूमि यानि 12 फीट चौडाई में एवं 345 फीट लम्बाई यानि 4090 वर्ग फुट अर्थात 0.038 हैक्टेयर है जो कि निकटतम लघुतम रास्ता है। अतः प्रार्थी को पं.नं. 235/394 (31) के किला नं. 1, 10, 11 में पत्थर लाईन पर डेढ बिस्वा भूमि यानि 12 फीट चौडाई में एवं 345 फीट लम्बाई यानि 4090 वर्ग फुट अर्थात 0.038 हैक्टेयर दिया जाना न्यायोचित है।

::–निर्णय::–

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) आर.टी.एक्ट स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की कृषि भूमि चक 7 ए.पी.डी. (भातीवाला) तहसील श्री विजयनगर का पत्थर नम्बर 236/394, मुरब्बा नम्बर 30 का किला नम्बर 13/1 का 0.127 हैक्टर, किला नम्बर 14 का 0.253 हैक्टर, किला नम्बर 15 का 0.253 हैक्टर, किला नम्बर 16 का 0.038 हैक्टर, किला नम्बर 17 का 0.051 हैक्टर, किला नम्बर 18 का 0.114 हैक्टर, किला नम्बर 19/1 का 0.056 हैक्टर इस प्रकार कुल 0.8920 हेक्टर कमाण्ड राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण के नाम से संयुक्त रूप से बतौर खातेदार दर्ज है के लिए अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज इसी चक के मुरब्बा नम्बर 31 पत्थर नम्बर 235/394 का किला नम्बर 1–10–11 में पत्थर लाईन पर डेढ बिस्वा भूमि यानि 12 फीट चौडाई में एंव 345 फीट लम्बाई यानि 4090 वर्ग फुट अर्थात 0.038 हैक्टेयर की हद तक स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी रास्ते में आयी भूमि के बदले में अप्रार्थी संख्या 1 को चक की वर्तमान डी.एल.सी. दर से दौगुणा राशि देगा। तहसीलदार राजस्व श्रीविजयनगर उक्त रास्ते में आदेशानुसार पारित होने वाली भूमि की भली भांति पैमाईश की जाकर उक्त आदेशानुसार रास्ते की भूमि का मौके पर चिन्हीकरण करवा कर राजस्व रिकार्ड में रास्ता का अमलदरामद किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 22/08/23 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

भारती

(भारती फूलफकर)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

Scanned with CamScanner